संख्या–652 / XXXX / 2010–132 / 2007

प्रेषक,

राजीव गुप्ता
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1– समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।
2 –समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी,
उत्तराखण्ड।

आयुष एवं आयुष शिक्षा अनुभागः–   देहरादूनः दिनांक 23 जुलाई, 2010

विषयः– इलेक्ट्रो होम्योपैथ चिकित्सकों के व्यवसाय पर रोक न लगाये जाने के संबंध।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–77 / चिकि0–2–2009–169 / 2007, दिनांक 12 फरवरी,2009 जोकि आपको सम्बोधित है, में आंशिक संशोधन करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से इलेक्ट्रो होम्योपैथी को मान्यता प्राप्त होने तक प्रदेश में इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सकों के व्यवसाय पर रोक न लगायी जाय।

2– यह भी निर्णय लिया गया है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सक अपने नाम से पूर्व न तो डा0 शब्द सम्बोधित करेंगे और न ही लिखेगें। वे मात्र उसी पद्धति का व्यवसाय करें, जिसमें उनका प्रशिक्षण हो एवं अपनी दुकान / कार्यालय पर स्पष्ट रूप से अंकित करेगें कि वे मान्यता प्राप्त नहीं है। उक्त आदेशों को सुनिश्चित कराये जाने का दायित्व जिला प्रशासन का होगा।

भवदीय,
(हस्ताक्षर)
(राजीव गुप्ता)
प्रमुख सचिव।

संख्या– / XXXX / 2010–179 / 2009 तद् दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1 – आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी / कुमाऊँ मण्डल नैनीताल।
2– स्टाफ आफिसर–मुख्य सचिव,उत्तराखण्ड शासन।
3– महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड देहरादून।
4 अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढवाल / कुमाऊँ मण्डल, पौड़ी गढवाल / नैनीताल ।
5 – चिकित्सा अनुभाग,1,2,3,4 एवं 5 उत्तराखण्ड शासन।
6– एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर देहरादून।
7– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(ओमकार सिंह)
अनु सचिव।